राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 148वीं बैठक के कार्यवृत्त

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम की कार्यवाही के चलते राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में धारा 144 लगाने के कारण एक जगह लोगो के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होने के कारण दिसम्बर, 2020 तिमाही की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 148वीं बैठक का आयोजन वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से करने का सर्वसम्मति से स्टियरिंग समिति में निर्णय लिया गया ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की अनुपालना की जा सकें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 148वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में श्री कुंजीलाल मीना, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, श्री नवीन जैन, सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, श्रीमती रश्मि गुप्ता, आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री जयदीप श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री महेंद्र सिंह महनोत, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री अमिताभ चटर्जी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री मुकेश कुमार, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की एवं कोरोना महामारी के कारण एसएलबीसी की दिसंबर 2020 की तिमाही बैठक वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किए जाने में सभी हितग्राहियों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा दिसंबर, 2020 त्रैमासिक में 7 उप समितियों की बैठक भी आयोजित की गयी एवं स्टियरिंग समिति की बारहवीं बैठक का आयोजन दिनांक 12.03.2021 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची एवं नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 148वीं बैठक के लिए संक्षिप्त एवं सुगठित कार्यसूची को तैयार किया गया है.

उन्होने राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एसएलबीसी के समस्त हितग्राहियों को धन्यवाद प्रदान किया। साथ ही सभी बैंकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं राज्य व केंद्र सरकार

के समन्वय के साथ समस्त पैरामीटर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अनुरोध किया. तत्पश्चात उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया।

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में उपस्थित गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकें बैंकिंग क्षेत्र से संबन्धित नीतिगत मामलों पर चर्चा करने, विभिन्न मापदण्डों के तहत प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के लिए योजनाएँ बनाने का अवसर प्रदान करती हैं।

उन्होने बताया कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को दूर करने एवं देश को आगे बढाने में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं सबसे आगे हैं. COVID-19 महामारी के इस कठिन समय में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने एवं भारत सरकार के आर्थिक पैकेज का लाभ व्यक्तियों व उद्योगों तक बैंको के माध्यम से पहुँचाया गया ताकि कोविड महामारी के दौरान हुए दुष्भाव को कम किया जा सकें. देश भर के बैंकर्स सरकार की विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन में उनके समर्पित प्रयासों के लिए विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, पुलिस कर्मियों और सरकारी और नगरपालिका कर्मचारियों के साथ-साथ बैंकरों ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होने प्रसन्नतापूर्वक बताया कि COVID-19 महामारी के प्रबंधन पर गठित संसदीय समिति ने बैंकर्स को "COVID-19 योद्धाओं" के रूप में मान्यता दी है।

COVID द्वारा उत्पन्न खतरे के बावजूद, राज्य में बैंकों ने ECLGS और PMSVANidhi जैसे Aatmanirbhar Bharat Package के कुछ घटकों के तहत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। राज्य के दिसंबर, 2020 में सीडी अनुपात 84% से अधिक और आरबीआई बेंचमार्क से ऊपर होने पर सराहना की।

तत्पश्चात उन्होने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं और घटनाओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला:-

- उन्होने सभी से अपील की कि हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12.3.2021 को शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की जाने गतिविधियों के बारे में सदन अवगत करवाया एवं नियत समायावधि में पूर्ण करने के समस्त बैंकों को निर्देशित किया ।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार राजस्थान राज्य में लगभग 77% पीएमजेडीवाई खातों में 31.12.120 तक RuPay कार्ड जारी किए गए हैं। राज्य में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए, सभी बैंकों को RuPay कार्ड वितरण और PMJDY खातों की उनकी सक्रियता पर ध्यान देना चाहिए।
- हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के तहत

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PM-FME) योजना का आरंभ किया है जिसका उद्देश्य उद्योग और उद्यमों, एसएचजी, एफपीओ और सहकारी समितियों को औपचारिक रूप से बढ़ावा देना है। पीएमएफएमई योजना में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे राज्य में इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाएं और आवेदनों को सही मायने में भारत सरकार की भावना के आधार पर सकारात्मक कार्य करें।

- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने राजस्थान कृषि-प्रसंस्करण, कृषि-व्यवसाय और कृषि-निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें मूल्य संवर्धन में शामिल करने पर केंद्रित है। खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से जीरा, धनिया आदि फसलों के निर्यात के साथ-साथ कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जावेगा।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के 26 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले सभी 112 एस्पिरेशनल जिलों में TFIIP (लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम) को बढ़ा दिया है। हमारे राज्य के बारां और जैसलमेर जिले में पहले से ही TFIIP लागू किया गया है और अब इसे शेष 3 जिलों यथा धौलपुर, करौली और सिरोही में लॉन्च किया गया है। सभी 5 जिलों में डीएलआईसी का गठन किया है और उन्होने डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध किया कि डीएलआईसी की बैठक जल्द से जल्द आयोजित की जाएँ। उन्होने सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे इन जिलों में अपनी शाखाओं को संवेदनशील बनाएं और आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करें।

(कार्यवाही : डीसीसी संयोजक, बैंक)

- वित्तीय समावेशन के तहत वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने Centre for Financial Literacy स्थापित करने के निर्देश प्रदान किए है उक्त केंद्रों के माध्यम से RBI द्वारा चुनिंदा बैंकों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2017 में 80 ब्लॉक और 2019 में 20 ब्लॉक में लागू किया गया।
- RBI ने इस CFL कार्यक्रम को मार्च 2024 तक देश के 100 ब्लॉकों से चरणबद्ध तरीके से देश के प्रत्येक ब्लॉक तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। राजस्थान राज्य में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के 10 आदिवासी ब्लॉकों की पहचान पायलट प्रोजेक्ट के लिए की गई थी और संख्या अब राज्य भर के 25 जिलों में 174 ब्लॉक तक बढ़ा दिए गए हैं। उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य में सीएफएल स्थापित हों और अपनी स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करें।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान में 75 हज़ार स्ट्रीट वेंडर्स को 30.11.2020 तक प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत ऋण संवितरण का लक्ष्य आवंटित किया है। आवेदनों में ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण को गति देने के लिए, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 शनिवार यथा 27 फरवरी, 6 मार्च और 13 मार्च 2021 को सभी शहरों में विशेष शिविरों का आयोजन करने का निर्देश दिया था। उक्त शिविरों के सफल आयोजन पर उन्होने बैंकर्स को धन्यवाद दिया। 19 मार्च 2021 तक राज्य में इस योजना के तहत 62,000 से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से

45,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए हैं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल सके।

- COVID-19 महामारी के दौरान डिजिटल लेनदेन (contactless transaction) की महत्ता सामने आई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, RBI ने घोषणा की है कि संपर्क रहित कार्ड लेनदेन (contactless transaction) के लिए प्रमाणीकरण हेतु प्रति लेनदेन सीमा रुपये 2000/- से बढ़ा कर रु. 5000/- कर दी गई है। उन्होने साथी बैंकरों से अनुरोध किया कि वे ग्राहकों से संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के बारे में आमजन में जागरूकता पैदा करें ताकि वे इस नवीन तकनीक को अपना सकें।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य में 5 कि.मी. के भीतर बैंकिंग टच पॉइंट (बैंक शाखा / बीसी / डाकघर) द्वारा कवर किए गए 12 गांवों की सूची प्रदान की थी। 1136 गाँवों में से केवल 12 गाँवों को कवर किया जाना शेष रहा और इन 12 गाँवों में से 9 गाँव कवर पूर्व में कवर लिए हैं। अतः केवल 3 गाँवों को बैंकिंग सुविधा से कवर किया जाना शेष है जिसके लिए सभी बैंकर्स बधाई के पात्र हैं। उन्होने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे निष्क्रिय बीसी (De-activate BC) एजेंटों को सक्रिय करें या उन्हें नए बीसी एजेंटों के साथ बदल दें ताकि राज्य में बैंकिंग सेवाओं में बाधा न आए।

इसके अलावा, उन्होने उन मुद्दों की ओर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया जहाँ बैंकर्स को राज्य सरकार के समर्थन की आवश्यकता है:

- Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974 (RACO-ROD Act) (राजस्थान कृषि ऋण परिचालन (कठिनाइयों को दूर करना) अधिनियम, 1974) के तहत राशि रू. 4400 करोड़ के 1.70 लाख प्रकरण वसूली हेतु लंबित हैं। उक्त प्रकरणों में से राशि रु. 2250 करोड़ के लगभग 1.10 लाख खाते एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। अत: राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि वह किसानों को कृषि ऋण के Fast Processing एवं बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करावे।
- SARFAESI अधिनियम के तहत दिनांक 31.12.2020 तक राशि रु. 190 करोड़ के 900 प्रकरण जिला प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें से राशि रु. 150 करोड़ के 631 मामले 60 से अधिक दिनों से लंबित हैं अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया कि समस्त जिला मजिस्ट्रेटस को निर्देशित करें कि SARFAESI अधिनियम के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें।
- RACO (ROD) act और SARFAESI अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में नियत समयावधि में वसूली बैंकों के प्रेरणादायक होगी उन्होने सुझाव दिया कि राज्य सरकार स्तर से एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाए।
- ग्लो साइन बोर्ड पर चारजेज़ का मुद्दा लंबे समय से लंबित है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द निस्तारण करने कार्यवाही करने के लिए क्योंकि यह सभी बैंकों के लिए एक रोड़ा बन गया है।

- इसके साथ ही, उन्होने राज्य सरकार, आरबीआई, नाबार्ड, बैंको और वित्तीय संस्थानों को राज्य में विकास की प्रक्रिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में समन्वय स्थापित करने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।

श्री अरुण कुमार सिंह क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने संबोधन में एसएलबीसी कार्यालय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होने COVID-19 के दौरान कड़ी मेहनत की और आवश्यक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की। उन्होने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है जिसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी सिस्टम में तरलता बनाए रखने हेतु विभिन प्रयास किए जा रहे हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गयी हैं एवं redemption pressures को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड (SLF-MF) हेतु भी विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।
- इस वर्ष जीडीपी में वृद्धि होने का अनुमान है।
- MSME- ECLGS और CGSSD योजनाओं को रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती, उच्च संरचनात्मक और टिकाऊ तरलता, ऋण सर्विसिंग पर रोक, संपत्ति वर्गीकरण एवं विभिन्न मौद्रिक और विनियामक उपायों द्वारा लागू किया गया है। उक्त उपायों से न केवल वित्तीय क्षेत्र में तनाव को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि नए अवसर भी खुलेंगे।
- अधिक पिछड़े जिलों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रदान करने हेतु अधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर बल दिया जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 08.02.2021 से 12.02.2021 तक वित्तीय साक्षारता सप्ताह मनाया गया जिसकी थीम "Developing Credit disciple and encourage availing credit from formal financial institutions" रखा गया। जिसका बैंकों के सहयोग से राज्य में सफल आयोजन किया गया।
- करौली जिले को डिजिटल बनाने हेतु 100% लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया।
- पुनर्निर्मित बैंकिंग लोकपाल योजना- एक राष्ट्र एक बैंकिंग लोकपाल की जानकारी सदन के समक्ष रखी।
- वार्षिक साख योजना के तहत समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों को और अधिक प्रयास करने हेतु निर्देशित किया।
- जैसलमेर में शेष रहे 3 गांवों को बैंकिंग सुविधा से कवर करने के लिए निर्देशित किया।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री प्रदीप कुमार बाफना, नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

श्री प्रदीप कुमार बाफना, नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **147**वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध है जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख अथवा उसके समकक्ष वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना (ACP) के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए.
- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्द्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- साथ ही एलडीएम को अलग से एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.
- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए.
- एसएलबीसी की 12वीं स्टीयरिंग समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार सिरोही जिले में अग्रणी जिला प्रबन्धक के सेवानिवृत्त होने के पश्चात नयी नियुक्ति नहीं की गयी है, जिस पर वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने असंतोष व्यक्त किया है।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया की सिरोही में अग्रणी जिला प्रबन्धक की नियुक्ति कर दी गयी है लेकिन उन्हे कोरोना से पीड़ित होने कारण उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया है एवं उनके कार्यभार ग्रहण करते ही अतिशीघ्र एसएलबीसी को सूचित कर दिया जावेगा ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उपसमितियों के आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

	उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1.	एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	19.01.2021
2.	वित्तीय समावेशन	28.01.2021
3.	एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	02.02.2021
4.	एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ	09.02.2021
5.	केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	09.02.2021
6.	कृषि योजनाओं से संबन्धित तथा फसल की अवधि निर्धारण	03.03.2021
7.	डिजिटल भुगतान	05.03.2021
8.	बकाया ऋण वसूली	To Be Held Soon

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 148वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 12वीं बैठक दिनांक 12.03.2021 को आयोजित की गयी।

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

<u>Key Business Parameters</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने राज्य के बैंकिंग के प्रमुख पैरामीटर के बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धियों के बारे में सदन को निम्नानुसार सूचित किया :

दिनांक 31 दिसंबर, 2020 तक राज्य में कुल 8,173 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा कुल 69 शाखाएं खोली गयी हैं।

जमाएँ व अग्रिम: 31 दिसंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.80% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,75,449 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.39% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,92,293 करोड़ रहे हैं। जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 11.75%, 12.23%, -0.34% एवं 45.77% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंक, स्माल फाइनेंस की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 10.67%, 16.17%, 26.54% एवं

9.20% रही है. राज्य में समस्त बैंकों का साख जमा अनुपात 84.39% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.22% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,50,450 करोड़ रहा है।

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.25% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,17,690 करोड़ रहा है।

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 31 दिसंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.47% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 92,481 करोड़ रहा है।

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 दिसंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि -0.27% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 76,711 करोड़ रहा है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण प्रदान करने में तेजी लाए ताकि राज्य का चहुमुखी विकास हो सके ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 दिसंबर, 2020 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.28% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 16,819 करोड़ रहा है।

राज्य में **कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अग्रिम 63.84%, कृषि क्षेत्र को 30.00%, एमएसएमई को 23.57%, कमजोर वर्ग को 19.55%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 15.24% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 11.53% रहा है।

राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के 31 दिसंबर, 2020 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बेंचमार्क के सापेक्ष उपलब्धि एवं अन्य राज्यों की उपलब्धि से राजस्थान राज्य की प्रगति के तुलनात्मक आंकड़ों पर संतोष व्यक्त किया।

साथ ही बताया कि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने की दर में और भी वृद्धि तेजी से लाई जा सकती थी लेकिन बैंकों के पक्ष में कृषि भूमि रहन दर्ज़ करने की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से अनेक तहसीलों में रहन दर्ज़ नहीं किया जाना है।

एजेण्डा क्रमांक - 4

Unbanked Rural Centres (URC)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ई-मेल दिनांक 04.02.2021 के माध्यम से 66 गांवों में से केवल 12 गांव जिनके 5 किमी की परिधि में बैंकिंग सेवा उपलब्ध नहीं है जिसकी सूची एसएलबीसी को प्रेषित की है ।

जैसलमेर जिले से संबंधित गांवों के कवरेज के संबंध में निम्नानुसार सदन को अवगत करवाया : -

जैसलमेर जिले की DLCC बैठक 29.12.2020 को जिला कलेक्टर और सभी गांवों की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। IPPB के 4 गांवों और SBI के 56 गांवों को आरएमजीबी के मोबाइल वैन एटीएम द्वारा कवर किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर, जैसलमेर जिले ने निम्नानुसार निर्देश को प्रदान किए है:

- इन गांवों में मोबाइल वैन एटीएम द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं की निगरानी की जानी चाहिए।
- इन सभी गांवों में मोबाइल वैन एटीएम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का प्रचार किया जाना चाहिए ।
- मोबाइल वैन एटीएम के अग्रिम यात्रा कार्यक्रम (Advance Tour Programme) की जानकारी सीईओ जिला परिषद और संबन्धित बीडीओ को देनी होगी।
- इस प्रकार उन्होने सभी 60 गांवों को बैंकिंग सुविधा से कवर माना गया।

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि डीएलसीसी, जैसलमेर की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 28.01.2021 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति- वित्तीय समावेशन बैठक में उपरोक्त 9 गांवों को बैंकिंग सुविधा कवर माना गया। उक्त 9 गांवों को आरएमजीबी की मोबाइल वैन के माध्यम से कवर किया जा रहा है अतः उन्होने सदन उक्त गांवो को बैंकिंग सुविधा से कवर मानने हेतु सदन से अनुमोदन हेतु अनुरोध किया ।

उपरोक्त गांवो को बैंकिंग सुविधा से कवर मानते हुए सदन ने सहमति प्रदान की ।

महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को सूचित किया गया कि जैसलमेर जिले के शेष रहे 3 गाँव यथा बांदरी, बिरमा और सेंगर भारत पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र के पास स्थित हैं जहां कनेक्टिविटी कि समस्या है एवं आबादी भी बहुत कम है। अतः उनके बैंक को आवंटित गाँव में आरएमजीबी की मोबाइल वैन के माध्यम से उक्त गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही है ।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के NSFI के तहत राज्य के समस्त गांवों की 5 किमी परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्यबिन्दु है अतः राज्य के वर्तमान में कार्यरत समस्त बैंक मित्र (BC) सक्रिय (Activate) रखना सुनिश्चित करवाने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया ।

उन्होने भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि उक्त तीनों गांवो के बैंकिंग सुविधा कवरेज का प्रकरण अग्रणी जिला प्रबन्धक, जैसलमेर से DLCC की बैठक में चर्चा कर अनुमोदन करवाना सुनिश्चित करावें व अनुमोदन पश्चात एसएलबीसी को प्रेषित करावें एवं मोबाइल एटीएम वैन बैंकिंग लेन-देन की सुविधा के साथ-साथ अन्य बैंकिंग सुविधा यथा बैंक खाते खोलना व ऋण सुविधा की लीड इत्यादि उपलब्ध करवाने का कार्य भी करवाना सुनिश्चित ताकि पूर्ण बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करावें ।

District Level Implementation Committee for the Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) within the overall Aspirational Districts Programme (ADP) of NITI Aayog:

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि आशान्वित जिलों (Aspirational Districts) में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 13.07.2020 से Aspirational Districts Programme (ADP) के तहत में चयनित आशान्वित जिलों में Targeted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP) चलाया है। उक्त TFIIP अभियान राजस्थान में बारां एवं जैसलमेर जिले में चिन्हित किया गया है।

दोनों आशान्वित जिले (Aspiration District) की DLIC बैठक निम्नानुसार आयोजित की गई:

- बारां - 06.08.2020, 10.09.2020, 08.10.2020, 12.11.2020 एवं 17.12.2020, 22.01.2021 एवं 19.02.2021
- जैसलमेर - 19.08.2020, 29.12.2020

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से सूचित किया कि मंत्रालय ने देश के 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के सभी 112 आशान्वित जिलों (Aspiration Districts) में TFIIP का विस्तार किया गया है। हमारे राज्य में उपरोक्त दोनों के साथ-साथ 3 आशान्वित जिलों यथा धौलपुर, करौली और सिरोही को भी सम्मिलित किया है:-

बेंचमार्क के साथ KPI निम्नानुसार हैं:

- 5 कि.मी. के भीतर बैंकिंग सुविधा वंचित गांवों की संख्या को शून्य करना
- आशान्वित जिलों के पैरामीटर (KPI) के बेंचमार्क स्तर को प्राप्त करना है :

Benchmark for aspirational districts	Bank accounts (CASA) per lakh of population	PMJJBY enrollments per lakh population	PMSBY enrollments per lakh population	APY enrollments per lakh population
(Best performing district in the country)	1,29,755	9,722	30,303	2,886
	Vishakhapatnam (Andhra Pradesh)	Adilabad (Telangana)	Mahasamund (Chattisgarh)	Fatehpur (UP)

- राष्ट्र स्तरीय संचालन समिति (एनएलएससी) ने सितंबर, 2021 के अंत तक सभी केपीआई पर 100% बेंचमार्क प्राप्त करने का निर्णय लिया है।
- केपीआई के सापेक्ष जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा डीएलआईसी द्वारा पाक्षिक आधार पर की जाएगी।
- सभी 5 जिलों के एलडीएम को संबंधित हितधारकों की मदद से जिले में वित्तीय जागरूकता फैलाने के लिए DLIC का गठन करना है।
- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें जिलें में आयोजित किए गए शिविरों और उसमें किए गए नामांकन के बारे में प्रत्येक एस्पिरेशनल जिले से डेटा एकत्र किया जाएगा। केपीआई के तहत प्रगति को अपलोड करने के लिए प्रत्येक एस्पिरेशनल जिले के अग्रणी जिला प्रबंधकों को पोर्टल की access दी जा रही है। (https://jansuraksha.gov.in/mis)
- एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वित्तीय समावेशन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, डीएफएस ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2020 के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एसएलआईसी) का गठन करने की सलाह दी है। हमारे राज्य के आकांक्षात्मक जिलों के प्रमुख पैरामीटर के तहत प्रगति की समीक्षा करने के लिए SLIC का गठन किया गया है।
- एसएलबीसी द्वारा प्रमुख शासन सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है कि वे SLIC बैठक के आयोजन के लिए उपयुक्त तिथि और समय प्रदान करें।

<u>अटल पेंशन योजना</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिसका विवरण निम्नानुसार है :

राज्य में कुल 4,26,380 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2021 तक 3,27,095 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 76.73% रही है.

Atal Pension Yojana: DFS, MoF, GoI, vide their letter no. file no. 16/7/2015-PR (PT) dated 01.06.2020 and PFRDA vide e-mail dated 02.06.2020 had informed target for the F.Y.2020-21 based on the number of branches of each bank	Progress as on 28.02.2021						
	Type of Bank	Name of Banks	No. of Branches	Target (Per Branch)	Total Target	Ach. Up to 28.02.2021	% Ach.
	PSB		4194	60	251640	225329	89.54
	Private	HDFC, Axis, ICICI and IDBI	921	60	55260	9232	16.71
		Other Private Banks	576	30	17280	1538	8.90
	RRB		1553	50	77650	89748	115.58
	Co-Op.		460	20	9200	1	0.01
	Small Finance Bank		305	50	15250	1247	8.18
	State as a Whole		8009	270	426280	327095	76.73
	* Data received from PFRDA						

उन्होने पिछले एक वर्ष से ज्यादा समय से निरंतर अनुवर्तन की कार्यवाही के पश्चात भी निम्न बैंकों की दिसंबर- 2020 तक की प्रगति बेहद चिंतनीय है। लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि निम्नानुसार है : - नामांकन संख्या (लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि) :

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक - 1 (0.01%), एयू स्माल फाइनेंस बैंक - 1247 (8.18%), आईसीआईसीआई बैंक - 3635 (14.06%), एचडीएफसी बैंक - 804 (7.17%)

(कार्यवाही: राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने बताया कि तकनीकी समस्या को दूर किया जा चुका है एवं आगामी तिमाही में उक्त योजनांतर्गत प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

प्रतिनिधि, आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा नवंबर एवं दिसंबर माह में अटल पेंशन योजना के तहत अभियान चलाया गया है एवं अच्छी प्रगति होने से सूचित किया ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने पिछले दो वर्षों से एपीवाई में प्रगति के लिए एसएलबीसी बैठक में आश्वासन प्रदान किया है लेकिन अभी नगण्य प्रगति है जिस पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की उन्होने एपीवाई योजना के तहत प्रदत्त लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश प्रदान किए।

(कार्यवाही : राजस्थान राज्य सहकारी बैंक)

साथ ही उन्होने बताया कि राज्य में कुछ बैंकों द्वारा अपेक्षित कार्य नही करने के कारण राज्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है एवं लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्होने अन्य बैंकों से भी अटल पेंशन योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Identification of one Digital District-

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। जिसकी समय सीमा कोविड-19 महामारी के संक्रामण फैलाव के चलते मार्च 2021 तक बढ़ाई गई है । 100% डिजिटल की करौली एवं राज्य की प्रगति निम्नानुसार है :

Progress of 100 % Digital District - Karauli - Comparision from March 2020 to Feb 2021

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI,	Total No. of Operative CA Accounts	% Net Banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net
1	Mar-20	1453457	67.29	8.25	20.58	-	68.56	12094	20.37	23.26	-	-
2	Jun-20	1416087	75.62	8.84	23.51	-	77.03	12617	28.58	29.21	-	-
3	Sep-20	1452738	76.92	9.38	24.34	-	78.72	13618	35.89	31.16	-	58.53
4	Dec-20	1451690	82.35	10.87	28.73	90.68	91.20	15028	41.73	40.13	28.88	84.79
5	Feb-21	1439452	83.08	12.14	30.26	92.57	93.87	15196	45.92	39.96	30.94	90.85

Progress of 100 % Digital State - Rajasthan - Comparision from March 2020 to Dec 2020

Sr. No.	Months	1. Digital coverage for individuals (Savings Accounts)						Digital coverage for business (Current Accounts)				
		Total No. of Operative SB Accounts	% Debit/ RuPay cards coverage	% Net banking coverage	% of MB/ UPI/ USSD coverage	% AEPS coverage	Total No. of Operative SB Accoutns covered with at lease one of the facilities - Debit/ RuPay cards, net banking, mobile banking, UPI, USSD	Total No. of Operative CA Accnts as on 31st December 2020	% Net banking Coverage	% of POS/ QR coverage	% of Mobile Banking coverage	Total No. of Operative Current Accounts covered with at least one of digital modes of payments - Net Banking, POS, QR etc.
1	Mar-20	72023952	58.51	9.61	15.39	-	63.26	1608216	33.73	8.66	-	-
2	Jun-20	76521335	60.76	10.82	16.17	-	64.17	1608216	34.02	9.39	-	-
3	Sep-20	77186217	63.98	11.97	16.85	-	65.65	1850198	37.22	8.91	-	37.94
4	Dec-20	76235730	70.85	13.97	15.46	83.01	83.82	1887812	42.86	7.92	31.28	54.57

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु प्रदत्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भरसक प्रयास करें। उन्होने ने सुझाव दिया AEPS के लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते है अतः AEPS के साथ-साथ अन्य पैरामीटर को 100% डिजिटल किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।

एजेण्डा क्रमांक - 5

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति:

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,89,281 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिसंबर, 2020 तिमाही तक राशि रू 1,19,431 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 63.10% उपलब्धि है. कृषि में 63.19%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 72.59% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 31.99% की उपलब्धि दर्ज की गई है। वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष दिसंबर, 2020 तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 64.39%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 73.03%, सहकारी बैंक ने 49.66%, स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 44.73% उपलब्धि दर्ज की है।

उन्होने बताया कि वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा यस बैंक (18.54%), राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (19.47%), पंजाब एंड सिंध बैंक (25.62%), डीसीबी बैंक (27.33%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (28.75%), आईडीबीआई बैंक (31.36%), इंडियन बैंक (32.55%), इक्विटास स्माल फ़ाईनेन्स बैंक (38.87%), एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक (43.50%) एवं यूको बैंक (47.06%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया ।

उन्होने यस बैंक को अपनी प्रगति के बारे में अवगत करवाने के लिए अनुरोध किया

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने यस बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं उनके प्रधान कार्यालय को सूचित करने के एसएलबीसी को निर्देश प्रदान किए । एसएलबीसी की आगामी बैठक में राज्य प्रमुख के सहभागिता के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : यस बैंक एवं एसएलबीसी राजस्थान)

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेंचमार्क को प्राप्त करने हेतु समस्त बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान किया जाना महत्वपूर्ण है। अतः उक्त बैंकों को राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(कार्यवाही : समस्त संबन्धित सदस्य बैंक, राजस्थान)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत दिनांक 28.02.2021 तक राज्य में 475 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) एवं 15,238 ग्राम संगठन (VO) कार्यरत है। राष्ट्रीय

ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत वर्ष 2020-21 के 67,470 एसएचजी वित्त पोषित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 50,024 एसएचजी वित्त पोषित किए गए है जो कि 74.14% उपलब्धि है।

डॉ. पूजा शर्मा, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि एनआरएलएम योजनांतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बीआरकेजीबी द्वारा एसएचजी वित्तपोषण में अच्छा कार्य किया जा रहा है। अन्य बैंकों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के लिए उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया। उन्होने निम्नलिखित बिन्दुओ पर समस्त बैंकों से कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए :

- राज्य के प्रमुख बैंक पंजाब नेशनल बैंक, आरएमजीबी, सहकारी बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एसएचजी वित्तपोषण में अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक, आरएमजीबी)

- राजस्थान राज्य सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 2 वर्षों से एनआरएलएम पोर्टल पर आंकड़े अद्यतित नहीं किए जा रहे जिससे राज्य में प्रगति होने बावजूद भी परिलक्षित नहीं हो पा रही है ।

(कार्यवाही : राजस्थान राज्य सहकारी बैंको)

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक में संरचनात्मक परिवर्तन (structural changes) किए गए हैं। अतः भविष्य में लंबे समय तक आवेदन लंबित रहने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने राजीविका विभाग से अनुरोध किया कि उनके बैंक शाखाओं को अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्रेषित करवाना सुनिश्चित करावें जिससे लक्ष्य प्राप्ति की जा सके। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एनआरएलएम योजना को व्यापक स्तर लागू करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, योजना के बारे में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। उनके द्वारा स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण हेतु विभिन्न जिलों मे कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2000 से अधिक नए SHG ऋण किये जा चुके है तथा अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि आरएमजीबी को भी आपके कार्यालय के स्तर से निर्देश प्रदान करें कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 9041 के लक्ष्य है। जिसमें से 7055 व्यक्तियों, 414 समूहों एवं 1572 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 28.02.2021 तक उपलब्धि क्रमशः 9780, 5 एवं 348 रही है।

उन्होने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें एवं एक शाखा में समान प्रकार के व्यवसाय आवेदन पत्र प्रेषित नहीं करने हेतु समस्त फील्ड अधिकारियों को निर्देशित करें एवं बैंक शाखाओं को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्रेषित करें।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने पीएमईजीपी योजनान्तर्गत दिनांक 15.03.2021 तक की प्रगति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

- राज्य में समस्त बैंकों को आवंटित लक्ष्य राशि रू 80.94 करोड़ (मार्जिन मनी) के सापेक्ष दिनांक 15.03.2021 तक राशि रू 70.22 करोड़ (Disbursement) उपलब्धि रही है जो कि 86.76% है ।
- योजनांतर्गत एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की प्रगति आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 100% से अधिक होने से सूचित किया।
- आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरएमजीबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि अच्छी नहीं होने से सूचित किया।
- केवीआईसी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दिनांक 31.03.2021 तक स्वीकृत प्रकरणों में EDP प्रशिक्षण दिनांक 30.6.2021 तक किया जा सकता है ।
- समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि मार्जिन मनी क्लेम के लंबित आवेदनों का निस्तारण करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि पिछली तिमाही में लॉकडाउन के कारण कार्य नहीं हो पाया था लेकिन उनके बैंक को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 75% लक्ष्य प्राप्ति की जा चुकी है एवं स्वीकृत प्रकरणों में दिनांक 31.03.2021 तक ऋण वितरण की कार्यवाही के लिए सदन को आश्वासन प्रदान किया ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने पीएमईजीपी की नोडल एजेंसियों से अनुरोध किया कि पीएमईजीपी के आवेदन पत्रों के reject/return के कारणों का विश्लेषण करें एवं बैंकर्स के साथ आयोजित होने वाली बैठक में चर्चा करें एवं योजनांतर्गत गुणवत्ता वाले आवदेन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें ताकि return/rejection की दर को कम किया जा सके।

(कार्यवाही : केवीआईसी, भारत सरकार एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

Mukhya Mantri Laghu Udyog Prothsahan Yojana (MLUPY)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 खातों का लक्ष्य प्रदान किया गया है जिसके सापेक्ष दिनांक 18.03.2021 तक 6119 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

उन्होने बताया कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांशी योजना है एवं समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि योजनान्तर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारण करते हुए समस्त पात्र लोगों को ऋण प्रदान करें एवं स्वीकृत किए गए ऋणों का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि यह योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। उक्त योजना के तहत काफी संख्या में ऑनलाइन फॉर्म अस्वीकृत किए जा रहे हैं एवं प्रगति की सूचना पोर्टल पर अद्यतित नहीं की जा रही है।
उन्होने बताया कि योजना के तहत 7,333 आवेदन पत्र आवेदन पत्र स्वीकृत किए जा चुके है एवं राशि रू 1000 करोड़ के सापेक्ष उपलब्धि राशि रू 1,436 करोड़ की है । लगभग 10 हज़ार आवेदन पत्र अभी भी लंबित हैं जिनका निस्तारण करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया। साथ ही बताया कि कुछ बैंकों द्वारा प्रगति पोर्टल पर अपडेट नहीं की जा रही है एवं ब्याज अनुदान क्लेम प्रत्येक तिमाही में बैंक शाखा द्वारा किया जाना अपेक्षित है लेकिन क्लेम नहीं किया जा रहा है ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Indira Mahila Shakti Udyam Protshan Yojna

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि दिनांक 18.03.2021 तक योजनांतर्गत 2,784 ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं को प्रेषित किए है जिनमें से 99 आवेदन स्वीकृत किए गए है एवं 2,206 आवेदन शाखाओं में लंबित हैं।

आयुक्त, महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि इन्दिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना को लॉच किए लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया है लेकिन योजना के तहत अपेक्षित प्रगति नहीं आ रही है एवं बैंक का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होने से सूचित किया ।

उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि समस्त बैंकों व अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें कि इस योजना के लिए अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी शाखाओं को जागरूक करें एवं उन्होने सभी बैंकों से आग्रह

किया कि पूर्व में प्रेषित सभी आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि योजना को सफल बनाया जा सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि अगस्त 2020 व जनवरी 2021 में योजना की जानकारी कार्यशाला के माध्यम से बैंकों व अग्रणी जिला प्रबन्धकों उपलब्ध कारवाई गई है एवं बैंकों में और अधिक जागरूकता लाने के लिए महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार के संयोजन से बैंकों व अग्रणी जिला प्रबन्धक की एक कार्यशाला का आयोजन कर लिया जावेगा।

(कार्यवाही : महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 20,200 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2021 तक मात्र 5866 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 29.04% उपलब्धि है।

महाप्रबंधक, एससी/एसटी कॉर्पोरेशन, राजस्थान सरकार ने योजनान्तर्गत लम्बित आवेदनों पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया ताकि लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हो सके।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कुछ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है कि एससी/एसटी पॉप के जिला/ब्लॉक नोडल अधिकारियों द्वारा डीएलआरसी/डीएलसीसी/बीएलबीसी की बैठकों में सहभागिता नहीं की जा रही है नोडल अधिकारियों व बैंक शाखाओं से समंन्वय में कमी हो रही है । अतः उन्होने अनुजा निगम से अनुरोध किया कि उनके विभाग के समस्त नोडल अधिकारियों डीसीसी/डीएलआरसी/ बीएलबीसी की बैठकों में सहभागिता करने एवं उक्त बैठकों में कार्यबिन्दु के रूप में चर्चा करने हेतु निर्देशित करें ।

(कार्यवाही : अनुजा निगम, राजस्थान सरकार)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में दिनांक 28.02.2021 तक 12,28,933 खातों में कुल 10,014 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

उन्होने बताया कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 28.02.2021 तक कुल ऋण खाते - 12.29 लाख के सापेक्ष 8.76 लाख खाते (71%) ऋण शिशु वर्ग को प्रदान किये गये है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए है। समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

Stand Up India Scheme (SUI) for F.Y. 2020-21

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि भारत सरकार ने क्रेडिट प्रवाह को और सुविधाजनक बनाने के लिए एससी, एसटी और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कुल ऋण के मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से घटाकर 15% किया गया है और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण भी उक्त योजनान्तर्गत सम्मिल्लित किया गया है।

दिनांक 18.03.2021 तक 666 आवेदन स्वीकृत किए गए एवं राशि रु. 28.66 करोड़ के ऋण वितरित किए गए।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से प्रत्येक DLRC/ DCC बैठकों में योजना की प्रगति पर चर्चा करें। सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम ऋण प्रदान करने के लिए बैंक शाखाओं को निर्देशित करें ताकि लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हो सके एवं कमजोर वर्ग को ऋण प्राप्त हो सके ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक)

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS - 20%)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत दिनांक 26.02.2021 तक की एजेन्सीवार प्रगति निम्नानुसार अवगत करवाया:

Performance under Emergency Credit Line Gurantee Scheme (ECLGS) under MSME Package of GoI as on 26.02.2021

Amt in Cr

Sr. No.	Banks	Total MSME o/s of Major Banks as on 29.02.2020		Eligible Accounts of MSME		20% of eligible amt.	Cumulative Sanction progress		Cumulative Disbursement upto	
		A/C	AMT	A/C	AMT	AMT	A/C	AMT	A/C	AMT
1	Public Sector Bank	343973	34939	208047	23728	4746	120718	3447	81972	3024
2	Private Sector Bank	312893	26658	62131	23172	4634	41695	4277	20165	3325
3	Regional Rural Bank	85409	1490	37396	661	132	1158	112	1144	111
4	Small Finance Bank	135775	7529	100213	7210	1442	7101	288	5539	242
	Total	**878050**	**70616**	**407787**	**54771**	**10954**	**170672**	**8123**	**108820**	**6701**

उक्त योजना की अवधि (ECLGS 1.0 एवं ECLGS 2.0) दिनांक 31.03.2021 अथवा जब तक NCGTC द्वारा रु. 3.00 लाख तक की गारंटी प्रदान की गयी हो, जो भी पहले हो, तक बढ़ायी गयी है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत 31.03.2021 तक अधिकाधिक ऋण प्रदान करें व स्वीकृत खातों में ऋण वितरण भी सुनिश्चित करें। एसएलबीसी द्वारा नियमित रूप से समस्त बैंकों से अनुर्वतन की कार्यवाही के बाद भी योजनांतर्गत Opt out की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो कि बेहद खेद जनक है । उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त सूचना अतिशीघ्र एसएलबीसी को उपलब्ध करावें ताकि राज्य की प्रगति श्रेष्ठ परिलक्षित हो सके ।

(कार्यवाही : सदस्य बैंक राजस्थान)

PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में दिनांक 19.03.2021 तक 62,888 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रु. 4558.24 लाख वितरित किए गए हैं।

Progress under PM-SVANidhi Scheme of Major Banks as on 19.03.2021

Sr. No.	Particulars	Target alloted by DFS (Loan Disbursement)	Total Sanctioned	Sanctioned but pending for Disbursement	In Process	Disb (Account)	Disb (Amount) (Rs. in lacs)	Pending	Returned
1	State Bank of India	22000	25482	11439	5466	14043	1403.69	0	5693
2	Bank of Baroda	17000	14826	1686	3993	13140	1309.58	2	10542
3	Bank of India	3000	3842	619	217	3223	322.13	0	794
4	Bank of Maharashtra	1000	435	16	61	419	41.85	1	270
5	Canara Bank	2500	1644	120	327	1524	151.85	5	2209
6	Central Bank of India	2500	1901	64	255	1837	181.86	4	2395
7	Indian Bank	2000	1306	247	271	1059	105.66	2	1514
8	Indian Overseas Bank	1000	555	7	113	548	54.64	0	973
9	Punjab and Sind Bank	500	239	16	27	223	21.65	0	281
10	Punjab National Bank	7500	4944	1016	2163	3928	391.69	6	8759
11	UCO Bank	2500	1722	486	302	1236	123.21	9	2548
12	Union Bank of India	3500	2408	771	356	1637	158.20	18	2557
	PSB Total	**65000**	**59304**	**16487**	**13551**	**42817**	**4266.01**	**47**	**38535**
13	Axis Bank	1000	8	4	422	4	0.40	15	44
14	Federal Bank	250	8	7	3	1	0.10	0	16
15	HDFC Bank	1000	276	248	772	28	2.80	0	1
16	ICICI Bank	1500	199	42	1038	157	15.68	22	300
17	IDBI Bank	1000	100	44	251	56	5.60	3	234
18	IndusInd Bank	250	0	0	76	0	0.00	3	9
19	Karnataka Bank Ltd	250	28	15	53	13	1.30	0	51
20	Kotak Mahindra Bank Limited	1000	0	0	593	0	0.00	17	0
21	Bandhan Bank Ltd.	250	0	0	143	0	0.00	5	0
22	Yes Bank Ltd.	250	0	0	109	0	0.00	0	5
	Pvt. Total	**6750**	**619**	**360**	**3460**	**259**	**25.88**	**65**	**660**
23	Baroda Rajasthan Kshetriya Gran	1500	1638	145	3811	1493	149.25	1	352
24	Rajasthan Marudhara Gramin Ba	1500	937	97	205	840	84.00	12	649
	RRB Total	**3000**	**2575**	**242**	**4016**	**2333**	**233.25**	**13**	**1001**
25	AU Small Finance bank	250	132	47	260	85	8.50	6	109
26	(blank)	0	0	0	0	0	0.00	2672	0
	Other Total	**250**	**132**	**47**	**260**	**85**	**8.50**	**2678**	**109**

विशिष्ट सचिव एवं निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि पीएम-स्वनिधि के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विशेषतः भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अच्छा कार्य करने पर सराहना की। उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत किए गए ऋणों का वितरण अतिशीघ करवाने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

उन्होने बताया कि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उक्त योजना के तहत ऋण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। जो कि बेहद चिंतनीय है उन्होने पीएम-स्वनिधि के तहत निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति एवं वितरण के निर्देश प्रदान किए ।

(कार्यवाही : निजी क्षेत्र के बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि कुछ शहरों की नगर निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग नहीं प्रदान किया जा रहा है ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राज्य में सबसे अधिक ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत व वितरित किए गए हैं जिसके लिए उन्होने बधाई दी एवं बैंकों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकाय को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया ।

(कार्यवाही: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

Campaign for saturation of all PM-KISAN beneficiaries with KCC

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गयी है कि पूरे देश में 2.50 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान किया जावेगा जिसके तहत मिशन मोड में कार्य कर रु. 2.00 लाख करोड़ का ऋण farm sector को प्रदान किया जावेगा।

उन्होने बताया कि दिनांक 23.03.2021 तक पशुपालन हेतु प्रदान की जाने वाली केसीसी के 48,156 आवेदन पत्र पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर लंबित हैं। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करावें। उक्त अभियान के तहत दिनांक 19.12.2020 तक की प्रगति निम्नानुसार है:-

Particulars		A/c	Amt. (in Cr.)
KCC (Crop Loan)		654746	19270.03
Farmers with AH or Fisheries Activities	KCC (Crop Loan) with dairy activity	24069	273.18
	KCC (Crop Loan) with any other allied activities	46226	142.65
Only Animal Husbandry	Dairy	101465	1094.41
	Poultry	32	0.64
	Others	6306	31.14
Fisheries		283	0.68
Total		833127	20812.73
Total application Received - 959682			

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पत्रांक प. 1(3) कृषि-1/एम.सी./2020 दिनांक 30.06.2020 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खरीफ 2020 व रबी 2020-21 मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी है। जो कि राजस्थान के 33 जिलों मे क्रियान्वित की गई। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में फ़सली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवम बंटाईदार कृषको द्वारा फसलों का बीमा किया गया है।

Progress under PMFBY (Source NCIP Portal, GoI)

Particulars	Rabi - 2020-21 (As on 02.03.2021)
NET Crop wise Policy (Nos.)	39.44 Lacs
Insured Area	36.67 Lacs Hectare
Total sum insured (Amount)	Rs. 23739 Cr.
Farmer's Share in premium (Amount)	Rs. 451 Cr.

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कृषि विभाग, भारत सरकार ने रबी-2020-21 के लिए पोर्टल पर अद्यतन होने से शेष रहे आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए बैंकों को एक अंतिम अवसर देने का फैसला किया है, पीएमएफ़बीवाई पोर्टल 22.03.2021 से 26.03.2021 तक पुनः खोला गया है। एसएलबीसी ने ईमेल दिनांक 18.03.2021 से सभी सदस्य बैंकों से अनुरोध किया है कि वे शाखाओं को निर्धारित समयावधि में शेष डेटा प्रविष्टि को पूरा करने का निर्देश दें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2019 मौसम के शेष आंकड़ों को पोर्टल पर अद्यतन करने के लिए 02.11.2020 से 10.11.2020 तक पीएमएफबीवाई पोर्टल को पुनः खोला गया था । बैंक शाखाओं द्वारा शेष रहे किसानों के आंकड़े NCIP पोर्टल पर अद्यतित कर दिया है जिनका प्रीमियम पूर्व में ही बीमा कंपनियों को प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन राजस्थान सरकार की बिना अनुमति के बीमा कंपनियों द्वारा उक्त प्रीमियम राशि शाखाओं को लौटा दिया गया है ।
उन्होने राजस्थान सरकार से उक्त प्रीमियम बीमा कंपनियों को स्वीकार करने के लिए निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2020-21 में दिसंबर तिमाही तक राज्य में 8,256 छात्रों को राशि रू 205.13 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 45,407 छात्रों पर बकाया राशि रू 2015.72 करोड़ है।

बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 2,541 खातों में रु 82.83 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

<u>Doubling of Farmers Income by 2022</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करने की घोषणा की थी। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी

करने के कार्यबिन्दु पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उप समिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। उप समिति में निम्न सुझाव दिये गए:-

- किसानों को नियमित कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु प्रेरित करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं यथा डीईडीएस, कृषि व्यवसाय, एग्री क्लीनिक एवं एएमआई योजना इत्यादि।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को वर्तमान स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स के अनुसार ऋण प्रदान किया जावे।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान किया जावे।
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय वृद्धि हेतु निम्नलिखित योजनाएँ चलायी जा रही हैं:-
  1. Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019.
  2. Scheme for formalization of Micro food processing Enterprises (FME).
  3. Agriculture Infrastructure Fund (AIF).

Rajasthan Agro-processing, Agri-business & Agri-exports Promotion Policy, 2019

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत दिनांक 28.02.2021 तक बैंकों की प्रगति के बारे में निम्नानुसार अवगत करवाया :-

Sr. No.	Bank Name	No of Applications	Total Project Cost	Total Amount of TL	Amt. of Subsidy Sanctioned		Pending for Subsidy	
		No.	Amt. (Rs. In Cr.)	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)
1	Bank of Baroda	122	196.56	114.43	90	42.08	32	13.43
2	Punjab National Bank	49	113.58	75.89	30	11.89	19	9.21
3	State Bank of India	46	101.44	54.42	23	8.27	23	10.87
4	Kotak Mahindra Bank	27	62.31	36.99	14	5.05	13	5.43
5	HDFC Bank	22	68.98	34.26	11	4.13	11	3.57
6	RSCB	22	7.28	5.72	16	2.09	6	0.35
7	UCO Bank	20	23.93	13.76	12	3.45	8	2.39
8	ICICI Bank	18	55.05	29.28	5	1.80	13	4.04
9	Indusind Bank	7	13.31	7.70	3	0.94	4	1.75
11	BRKGB	6	8.46	4.49	0	0.00	6	2.17
12	Canara Bank	5	8.56	4.02	3	1.20	2	1.29
14	AU Small Finance Bank Limited	5	5.70	3.73	0	0.00	5	2.09
15	Axis Bank	4	12.46	6.98	3	1.50	1	0.19
16	Central Bank of India	4	4.63	3.77	2	0.82	2	0.50
18	Rajasthan Financial Corporation	4	3.59	1.75	0	0.00	4	0.90
20	Indian Bank	4	8.08	5.00	1	0.09	3	2.50
21	Others	2	2.54	1.65	0	0.00	2	1.09
22	Union Bank of India	2	5.92	3.25	0	0.00	2	1.50
25	SIDBI	2	1.33	0.90	0	0.00	2	0.33
26	Nabkisan Finance Ltd.	1	0.17	0.08	1	0.04	0	0.00
27	Punjab and Sind Bank	1	3.50	1.83	0	0.00	1	1.00
28	RSLDB	1	46.00	23.00	0	0.00	1	0.50
	TOTAL	**374**	**753.38**	**432.89**	**214**	**83.37**	**160**	**65.11**

उन्होने समस्त बैंकों से पात्र आवेदनों को अतिशीघ्र निस्तारण करने हेतु बैंकों से अनुरोध किया।

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

Agriculture Infrastructure Fund (AIF)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत 18.03.2021 तक बैंकों की प्रगति के बारे में निम्नानुसार अवगत करवाया :-

Bank wise progress under Agriculture Infrastructure Fund (AIF) on Portal as on 18.03.2021													
Sr. No.	Bank	Application forwarded to Banks		Application Sanctioned by Banks		Out of Sanctioned App. Approved by Bank		Out of Sanctioned App. Disbursed By Bank		Application Pending with Bank		Application Rejected by Bank	
		No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)	No.	Amt. (Rs. In Cr.)
1	Bank of Baroda	82	68.54	54	36.07	19	21.77	35	14.29	27	29.87	1	2.60
2	RSCB	183	33.63	41	8.22	35	7.68	6	0.54	142	25.41	0	0.00
3	State Bank of India	56	55.79	30	24.17	14	14.16	16	10.01	21	23.87	5	7.75
4	Punjab National Bank	37	43.19	27	31.00	22	27.75	5	3.26	7	8.89	3	3.30
5	Canara Bank	3	3.24	1	0.72	1	0.72	0	0.00	1	0.72	1	1.80
6	UCO Bank	7	9.16	1	1.48	1	1.48	0	0.00	5	6.20	1	1.48
7	Kotak Mahindra Bank	5	7.69	1	3.00	1	3.00	0	0.00	4	4.69	0	0.00
8	Punjab and Sind Bank	1	1.42	1	1.41	0	0	1	1.41	0	0.01	0	0.00
9	Bank of India	1	0.10	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	1	0.10
10	Central Bank of India	1	0.15	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	1	0.15
11	HDFC Bank	3	3.10	0	0.00	0	0	0	0.00	3	3.10	0	0.00
12	ICICI Bank	4	6.85	0	0.00	0	0	0	0.00	4	6.85	0	0.00
13	IDBI Bank	1	0.07	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.07	0	0.00
14	Indian Bank	1	1.90	0	0.00	0	0	0	0.00	1	1.90	0	0.00
15	Union Bank of India	6	10.08	0	0.00	0	0	0	0.00	6	10.08	0	0.00
16	Yes Bank	1	1.50	0	0.00	0	0	0	0.00	1	1.50	0	0.00
	Grand Total	392	246.41	156	106.07	93	76.56	63	29.51	223	123.16	13	17.18

समस्त बैंकों से लंबित आवेदनों का निस्तारण करने एवं वितरण हेतु अनुरोध किया। साथ ही उक्त योजनान्तर्गत प्रगति पोर्टल पर अपलोड करने हेतु भी अनुरोध किया।

PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME Scheme)

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे राष्ट्र में इस योजना को लोकप्रिय बनाने और शाखाओं और अग्रणी जिला प्रबंधकों को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवेदनों को प्रोसेस करने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में, एसएलबीसी, राजस्थान के पत्र क्रमांक आरजेड: एसएलबीसी: 2020-21: 1360 दिनांक 26.02.2021 के माध्यम से सभी सदस्य बैंकों और लीड जिला प्रबंधकों से अनुरोध किया गया है कि वे पीएम-एफएमई योजना के तहत शीघ्र वितरण के लिए शाखाओं को निर्देश दें।

प्रतिनिधि, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान सरकार ने बताया कि 56 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए हैं लेकिन बैंक शाखाओं विशेषतः बैंक ऑफ बड़ौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में बड़ी मात्रा में आवेदन पत्र लंबित है । उन्होने

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में लंबित उक्त आवेदन पत्रों को अतिशीघ्र निस्तारण करने के लिए आश्वासन प्रदान किया ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने पंजाब नेशनल बैंक के राज्य प्रमुख द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं एसएलबीसी को निर्देशित किया कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र के माध्यम से संज्ञान में लाए एवं भविष्य में होने वाली एसएलबीसी बैठक में केवल राज्य प्रमुख की सहभागिता सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही : एसएलबीसी राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि कई बैंकों से एसएलबीसी की विभिन्न बैठकों में अलग अलग प्रतिनिधि द्वारा सभागिता कि जाती है व कई बैठकों में सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा भी सहभागिता नहीं की जाती है जिससे पिछली बैठक के मुद्दों कि जानकारी उक्त प्रतिनिधि को नहीं होती व उन मुद्दों पर की गयी कार्यवाही की उचित समीक्षा भी नहीं हो पाती है। अतः सभी मेम्बर बैंक से अनुरोध है कि एसएलबीसी की बैठकों में सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा व एक ही प्रतिनिधि द्वारा सहभागिता कि जानी चाहिए ताकि पिछली बैठक के मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा कि जा सके व उन पर महव्त्पुर्ण निर्णय लिए जा सके ।

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने भी पंजाब नेशनल बैंक के राज्य प्रमुख द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की । उन्होने भविष्य में होने वाली एसएलबीसी बैठक में केवल राज्य प्रमुख की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समस्त बैंकों को निर्देशित किया ताकि किसी भी विषय पर सारगर्भित चर्चा की जा सके एवं निर्णय लिया जा सके ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

एजेंडा क्रमांक- 6

<u>CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि राज्य के समस्त जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार है:

100% से अधिक 7 जिलों में,	71%-100% 13 जिलों में,
61%-70% 4 जिलों में,	51%-60% 7 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में	40% से कम शून्य जिले है.

<u>NPA Position</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसंबर, 2020 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,92,292 करोड़ है तथा कुल एनपीए ऋण राशि रू 16,010 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.08% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 8.23%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 4.77%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 1.74% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.27% है.

उन्होने बताया कि दिसंबर 2019 में कुल एनपीए 4.36% था जो कि दिसंबर 2020 में 4.08% हो गया है. दिसंबर 2019 में कुल कृषि ऋण एनपीए 8.81% था जो कि दिसंबर 2020 में 8.23% हो गया है। दिसंबर 2019 में कुल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ऋण में एनपीए 3.91% था जो कि दिसंबर 2020 में बढ़कर

4.77% हो गया है तथा दिसंबर 2019 में कुल प्राथमिकता प्राप्त ऋण में एनपीए 5.96 % था जो कि दिसंबर 2020 में 5.27% हो गया है।

<u>सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 31.12.2020 तक कुल 893 प्रकरण राशि रू 192 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 631 मामले राशि रू 149 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,70,949 प्रकरण राशि रु 4,398 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 1,13,575 प्रकरण राशि रु 2,258 करोड़ के 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों को मासिक लक्ष्य आवंटित करने हेतु राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

उन्होने अग्रणी जिला प्रबन्धकों से अनुरोध किया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित डीएलआरसी/डीएलसीसी बैठकों में सरफेसी एक्ट एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत लंबित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा करें ।

(कार्यवाही : समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

इस संबंध में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने पत्रांक No. F. 27(1) Plan/IF/2016 दिनांक 03.12.2020 के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के तहत लंबित प्रकरणों को 60 दिन के अंदर निस्तारण करें हेतु निर्देशित किया है ।

एजेंडा क्रमांक- 8

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 31.12.2021 तक कुल व्यवस्थापन दर 71.07% रहने से सूचित किया. उन्होने बताया कि राज्य में 21 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 8 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना है. 2 आर सेटी- जालौर व सिरोही में भूमि आवंटित की जा चुकी है लेकिन आवंटन प्रक्रिया में परेशानियों का सामना करना पड रहा है एवं शेष 4 आरसेटी - सवाई-माधोपुर, अलवर एवं पाली के लिए भूमि आवंटन के प्रकरण लंबित है।

R-SETI Building Construction

नेटवर्क उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आर-सेटी के भूमि आवंटन के प्रकरण की स्थिति के बारे में निम्नानुसार सदन को सूचित किया :

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : पूर्व में भूमि आवंटित की गई थी लेकिन तीसरे पक्षकार द्वार कोर्ट में याचिका दायर कर दी है एवं बैंक द्वारा वैकल्पिक भूमि के लिए अनुरोध किया गया है । ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने बताया कि जिला प्रशासन, सवाई माधोपुर के द्वारा वैकल्पिक भूखंड चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है लेकिन भूमि आवंटित नहीं की जा सकी है । जिला प्रशासन सवाई-माधोपुर के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार ने 2011 में 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित की और निर्माण के बाद, संस्थान स्वयं के भवन से चल रहा है। अब 8,59,320/- रुपये की लेखापरीक्षा मांग के अनुसार, बैंक ने उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर की, राज्य सरकार से कार्यवाही प्रतीक्षित है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि आर-सेटी भूमि आवंटन के मुद्दों के बहुत अधिक समय से लंबित है लगभग 10 वर्षों से लंबित है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर-सेटी के भवन निर्माण हेतु राशि रू 1 करोड़ प्रदान की जाती है एवं भूमि आवंटित नही होने की दशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि प्रदान नहीं की जावेगी ।

जिन प्रकरणों में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रथम किश्त जारी कर दी एवं प्रशासनिक कारणों से भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि वापिस ले ली जावेगी ।

उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन के उक्त मुद्दों को जल्द सुलझाने के लिए संबन्धित जिला कलेक्टरों को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

Waiver of charges on display of Glow Sign Board at Bank's Branch Premises

नेटवर्क उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 25.03.2021 को बैठक आयोजित की गयी जिसमें उन्होने उक्त मुद्दे पर प्राथमिकता से जांच कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

नेटवर्क उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार वर्तमान में एसएलबीसी वेबसाइट को रिडिजाइन किया है एवं सदस्य बैंकों में से 18 बैंकों द्वारा समस्त 33 *.*txt फ़ाइल सफलतापूर्वक सृजित कर ली गयी है । 11 बैंकों द्वारा 33 *.*txt फ़ाइल सृजित कर ली गयी है लेकिन उनमें त्रुटि पायी गयी है जिसे सही किया जाना बैंकों के स्तर से लंबित है। 8 बैंकों द्वारा *.*txt फ़ाइल सृजित किया जाना under process बताया है । शेष 10 बैंकों यथा राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक, साउथ इंडियन, सिटी यूनियन, करूर वैश्य, लक्ष्मी विलास, नैनीताल बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड एवं एमयूएफ़जी बैंक द्वारा की गयी प्रगति एवं एवं वर्तमान स्थिति से अवगत नहीं करवाया गया है। **(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)**

आज दिनांक तक कुल 17 बैंकों द्वारा *.*TXT फ़ाइल जनरेट की जा चुकी है व उनमें से 11 बैंकों द्वारा *.* TXT फ़ाइल एसएलबीसी की नई वैबसाइट पर सफलतापूर्वक Test Run की जा चुका है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने कहा की राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की विभिन्न पैरामीटर पर प्रगति अपेक्षित नहीं है या काफी नगण्य है जो की चिंता का विषय है व निर्देश दिये की इन पैरामीटर की अलग से समीक्षा करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित करे जिसमे भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एसएलबीसी एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के उच्चाधिकारियों द्वारा सहभागिता कि जाये ।

(कार्यवाही : भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एसएलबीसी व राजस्थान राज्य सहकारी बैंको)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निम्नानुसार कार्यबिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु सदन को अनुरोध किया :

- आरसेटी के भूमि आवंटन संबंधी मुद्दे लगभग 10 वर्षों से लंबित होने के कारण लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य पूर्ण क्षमता के साथ नहीं किया जा पा रहा है। उक्त मुद्दों को अतिशीघ्र सुलझाइए जाने की आवश्यकता है। अतः आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार इस प्रकरण को सुलझाने के लिए बैंकों को सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया ।
- त्रैमास की समाप्ति के 15 दिवस के अंदर बैक अपने संबन्धित आंकड़े एसएलबीसी पोर्टल पर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसकी अक्षरश पालना सुनिश्चित करें ।
- पीएमईजीपी योजना के तहत 47% rejection rate है जो कि काफी ज्यादा है। इसके विश्लेषण की आवश्यकता है ।
- NSFI एवं NSFE के तहत जो भी कार्यबिन्दु है उन पर सभी हितधारकों को निश्चित समयावधि में अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया
- राज्य में CD Ratio अन्य निकटतम राज्यों से काफी अच्छा है किन्तु इसके सापेक्ष कुल जमाओं में वृद्धि उन राज्यों की अपेक्षा कम हो रही है जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि CD Ratio में और अधिक सुधार हो सके ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि एक मुश्त ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंकों की दिनांक 30.11.2018 को घोषित एनपीए खातेदार कृषकों में से सहकारी विभाग की ऋण माफी योजना के तहत लाभान्वित कृषकों का डेटा मैच कर उनकी संख्या व राशि का विवरण संबंधी डेटा 10 दिवस के अंदर प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया है लेकिन अभी तक किसी भी बैंक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इस वजह से राजस्थान सरकार की एक मुश्त ऋण माफी योजना को क्रियान्वित करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । उन्होने इस पर बेहद चिंता व्यक्त की

उन्होने आगामी 10-15 कार्यदिवस में उक्त सूचना आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार व एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने के लिए समस्त बैंकों को निर्दहसित किया ।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि सहकारी बैंक ने एक्सेल फाइल के द्वारा आंकड़े उपलब्ध करवाए है उनमें आधार कार्ड की आखिरी 4 डिजिट ही उपलब्ध है एवं बैंक शाखाओं को कृषकों के आंकड़े मैच (Match) करवाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । सहकारी बैंक की ऋण माफी वाली वेबसाइट पर एक-एक कृषक आंकड़े मैच (match) करवाने समय बहुत समय व्यतीत हो रहा है । बैंकों द्वारा सूचित किया गया है कि वेबसाइट भी बहुत धीरे कार्य रही है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान द्वारा समस्त बैंकों से एक मुश्त ऋण माफी योजना के आवश्यक सूचना आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार को अतिशीघ्र प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया।

श्री योगेश अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सदन में सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने एवं बैठक के अध्यक्ष महोदय व केंद्र व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही आश्वस्त किया कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

****